

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड  
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आप.प्रक.क्रमांक 632 / 2014  
आर.सी.टी.नं. 306 / 2014  
संस्थित दिनांक-24.09.2014

म.प्र. राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र अंजड, जिला बडवानी

-अभियोगी

वि रु द्ध

पुष्पेन्द्र पिता रमेशचंद्र,  
उम्र 42 वर्ष, निवासी बए स्टेण्ड के पास अंजड,  
थाना अंजड, जिला-बडवानी म0प्र0

-अभियुक्त

---

राज्य तर्फे एडीपीओ	- श्री अकरम मंसूरी ।
अभियुक्त तर्फे अभिभाषक	- श्री एच.सी. बंसल ।

---

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 28.05.2018 को घोषित)

पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 251/2014 अंतर्गत सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 4(क) में दिनांक 24.09.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.09.2014 को समय 19:00 बजे, स्थान बस स्टेण्ड के पास बी.एस. बीडी किराना दुकान के सामने अंजड में अभियुक्त द्वारा लोगों से अंकों के आधार पर हार-जीत का दाव लगाते हुये हारजीत का दाव लगाकर सट्टा पर्चियों पर अंक लिखने के संबंध में धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

// 2 //

आप.प्रक.क्रमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 16.09.2014 को कस्बा भ्रमण पर हमराह फोर्स ए.एस.आई कविता अलावा, प्र.आरक्षक साकीर, प्र.आर. प्रमोद एवं आर. विजय को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, एक व्यक्ति बस स्टेण्ड अंजड पर बी.एस. बीडी किराना दुकान के सामने सट्टा पाना लिख कर हारजीत कर रहा है। सूचना पर राहगीर पंचान देवेन्द्र एवं कालु को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया व हमराह लेकर बताये स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर देखा एक व्यक्ति सट्टा अंक लिखकर लोगों से पैसे से हारजीत कर रहा था। जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछते अपना नाम पुष्पेन्द्र पिता रमेशचंद्र बंसल बताया। उसके कब्जे से सट्टा उपकरण व नगदी 150/- रुपये मिले तथा प्रदर्शनी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 251/2014 अंतर्गत धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षी देवेन्द्र एवं कालु के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है एवं बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि -

क्या दिनांक 16.09.2014 को समय 19:00 बजे, स्थान- बस स्टेण्ड के पास बी.एस.बीडी किराना दुकान के सामने अंजड में अभियुक्त द्वारा लोगों से अंकों के आधार पर हार-जीत का

दाव लगाकर सट्टा पर्चियों पर अंक पर लिखते हुए पाया गया ? यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में देवेन्द्र (अ.सा.1), निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.2) एवं कालु (अ.सा.3) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. अभियोजन की ओर से घटना के स्वतंत्र चक्षुदर्शी पंच साक्षियों के रूप में देवेन्द्र (अ.सा.1) के कथन कराये गये हैं। साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, वह आरोपी पुष्पेन्द्र को जानता है। घटना वर्ष 2014 की है। बस स्टेण्ड पर सट्टा पकड़ा था, कौन सी दुकान से सट्टा पकड़ा था, उसे नहीं मालूम। सट्टा पुलिस थाना अंजड के प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह, प्र.आर. प्रमोद शर्मा, सैनिक कालु ने पकड़ा था। मौके से सट्टे की चिट्ठ और 150/- रुपये नगद पकड़े थे। मौके पर लिख-पढी की थी या नहीं उसे ध्यान नहीं है। जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये। उसमें यह स्वीकार किया है कि, सट्टा पकड़ने का समय शाम लगभग 7:00 का है तथा यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस के साथ बस स्टेण्ड अंजड में किराना दुकान के सामने गया था। यह भी स्वीकार किया है कि, एक व्यक्ति हारजीत का सट्टा लिखा रहा था तथा आसपास खड़े हुये व्यक्ति सट्टा लगा रहे थे। यह भी स्वीकार किया है कि, जो व्यक्ति सट्टा लिख रहा था पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया था। यह भी स्वीकार किया है कि, जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा था उसने अपना नाम पुष्पेन्द्र बताया था। यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस ने आरोपी पुष्पेन्द्र के कब्जे से सट्टा पर्ची जिस पर सट्टा अंक लिखे हुये थे, एकपेन तथा 150/- नगदी थी। यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस ने मौके पर ही प्र.पी. 1 का

// 4 //

आप.प्रक.क्रमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

जप्ती पंचनामा बनाया था।

7. बचाव पक्ष द्वारा किये गये साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया है कि, उस समय वह पुलिस के वाहन का चालक था साक्षी को यह भी ध्यान नहीं है कि, उक्त दिनांक को पुलिस वाले उसे अस्पताल चौक अंजड में मिले थे। साक्षी को यह भी ध्यान नहीं है कि, कौन से महिने, कौन से दिन एवं कौन से तारीख थी। किस बात का सट्टा था साक्षी यह भी नहीं बता पाया। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि, उसे सामने पर्ची पर कोई अंक नहीं लिखे थे। पर्ची को लिख रहा था यह वह नहीं जानता है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि, प्र.पी. 1 की लिखा पढी पर उसने हस्ताक्षर थाने पर किये थे। किराना दुकान कौन चला रहा था साक्षी के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है। किराना दुकान है किसी यह भी उसने नहीं मालूम। यह भी स्वीकार किया है कि, रुपये 150/- के अलावा तलाशी लेते समय कुछ नहीं निकला था। साक्षी के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास व कथन विसंगतियों से परिपूर्ण है। अतएव उक्त साक्षी की साक्ष्य विचारणीय प्रश्न के निराकरण के लिए उपयोगी नहीं है।

8. साक्षी निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया है कि, वह उपस्थित आरोपी पुष्पेन्द्र को जानता है। घटना 19.02.2014 की है। घटना वाले दिन उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि, बस स्टेण्ड अंजड पर बंसल किराना दुकान के पास एक व्यक्ति सट्टा अंक लिखकर पैसों से हारजीत कर रहा है। सूचना पर पंचान साक्षी देवेन्द्र एवं कालू को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा हमराह फोर्स उप.नि. कविता अलावा, प्र.आरक्षकगण साकीर अली, प्रमोद शर्मा आरक्षक विजय को मुखबिर की सूचना से अवगत कराके साथ लेकर बताये सीन पहुंचे थे। दूर से देखा था तब एक व्यक्ति सट्टा अंक लिख कर पैसों की हारजीत कर रहा था।

9. मौके पर हमराह फोर्स की मदद से उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा था तथा उस व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पुष्पेन्द्र बंसल बताया था तथा चेक करते उसके हाथ की मुट्ठी में 2 सट्टा पर्ची जिस पर सट्टा अंक लिखे हुए थे तथा नगदी रुपये 150/- मिले थे। अभियुक्त से आर्टिकल ए एवं

// 5 //

आप.प्रक.कमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

बी तथा एक लीड पेन आर्टिकल सी की जप्त की थी तथा जिसका जप्ती पंचनामा प्र. पी. 1 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा मौके पर ही जिसके सी से सी भाग पर अभियुक्त पुष्पेन्द्र ने अपने हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने मौके पर ही आर्टिकल ए, बी व सी तथा 150/- रुपये जप्ती के संबंध में जप्ती चीट तैयार की थी, जो प्र.पी. 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर किये थे।

**10.** वह जप्तशुदा माल एवं अभियुक्त को साथ लेकर पुलिस थाना अंजड आये थे जहां पर उन्होंने अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रं. 251/14 धारा 4 क जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्र.पी. 3 की प्र.सू. प्रतिवेदन लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए व बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान के दौरान उनके द्वारा साक्षीगण आरक्षक विजय, देवेन्द्र एवं कालु के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे।

**11.** बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, प्र.सू. प्रतिवेदन उसके द्वारा लेखबद्ध की गयी थी तथा रिपोर्ट के पश्चात् अनुसंधान भी उसके द्वारा किया गया। यह भी स्वीकार किया है कि, वह जब फोर्स के साथ निकला था तब उसने थाना अंजड में रवानगी रोजनामचा में डाली थी तथा वापस आने पर उसका उल्लेख भी रोजनामचा में किया था। यह भी स्वीकार किया है कि, साक्षी द्वारा प्रकरण में रोजनामचा की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। साक्षी ने पंच गवाहों को बस स्टेण्ड पर तलब किया था किन्तु तलब करने का कोई पंचनामा नहीं बनाया है। यह भी स्वीकार किया है कि, सट्टा लिखने वाले लोगो को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस को देखकर भाग गये थे तथा उनमें से हम किसी को भी नहीं पकड़ पाये।

**12.** साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि, सट्टा दो-तीन प्रकार का होता है किन्तु उसे यह जानकारी नहीं है कि, कौन कौन से प्रकार का सट्टा होता है। सट्टा कहा से खुलता है और कहा से बंद होता है उसकी

जानकारी उसे नहीं है। साक्षी को यह भी जानकारी नहीं है कि, अभियुक्त कौन सा सट्टा उस समय लिख रहा था स्वतः कहा कि, अंक लिखकर हारजीत कर रहा था। उस दिन कौन से अंक खुला था उसकी भी जानकारी उसे नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि, आर्टिकल ए और बी में अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि, आर्टिकल ए और बी में कौन सा सट्टा है यह लिखा हुआ नहीं है। यह बात भी स्वीकार की है कि, उसके द्वारा प्र.पी. 1 का जप्ती पत्रक बनाया था जिसमें नोट के नंबर उल्लेख नहीं किये हैं यह भी स्वीकार किया है कि, जहां से उसने सट्टा पकड़ा था वहां अभियुक्त के पिता की किराना दुकान है। यह भी स्वीकार किया है कि, अभियुक्त किराना दुकान के ओटले पर नीचे बैठा हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि, घटना स्थल के आसपास कई दुकानें हैं और रोड चालू है। यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा आसपास के लोगों को जप्ती के लिये नहीं बुलाया था। यह भी स्वीकार किया है कि, आसपास के लोगों के बयान नहीं लिये थे। यह अस्वीकार किया है कि, उन दिनों साक्षी देवेन्द्र पुलिस की गाड़ी चलाता था।

**13.** साक्षी कालु (अ.सा.3) ने अपने कथन में बताया है कि, वह अभियुक्त पुष्पेन्द्र को जानता है। घटना सितम्बर वर्ष 2014 की है। घटना दिनांक को प्र.आरक्षक निर्भयसिंह के द्वारा सट्टा पकड़ा गया था। उस समय वह लोग देवेन्द्र के साथ कस्बा भ्रमण पर थे उस दौरान प्र.आरक्षक निर्भयसिंह के द्वारा बस स्टेण्ड अंजड पर किराना दुकान के ओटले से सट्टा पकड़ा था। सट्टे के साथ पुष्पेन्द्र नामक व्यक्ति को पकड़ा था। मौके से अभियुक्त के पास से सट्टा चिट्ठिया, पेन, रुपये 150/- पकड़े थे जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 का बनाया था, जिसके डी से डी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्र.आरक्षक निर्भयसिंह ने उसके कथन लेखबद्ध किये थे।

**14.** बचाव पक्ष द्वारा किये गये साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, वह सन् 2014 में थाना अंजड पर होम गार्ड सैनिक के रूप में पदस्थ था। घटना कौन से दिन की है उसे यह जानकारी नहीं है। साक्षी थाने से 6:00 बजे रवाना हुये थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि,

// 7 //

आप.प्रक.कमांक 632 / 2014  
आर.सी.टी.नं. 306 / 2014  
संस्थित दिनांक-24.09.2014

निर्भयसिंह के द्वारा गांव में भ्रमण करने के लिये खानगी का इंद्राज रोजनामचा में किया था या नहीं। यह भी स्वीकार किया है कि, जब जब गांव में जुआ पकड़ते हैं तब उसे साथ में ले जाते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि, देवेन्द्र उस समय थाने की गाड़ी का परिचालक था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि, अभियुक्त की किराना दुकान है। यह भी स्वीकार किया है कि, उस समय अभियुक्त किराने की दुकान चला रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि, उस समय कोई ग्राहक नहीं थे कितने रुपये का पंचनामा बनाया था इसकी भी साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि, उसके सामने अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया था और गिरफ्तारी पंचनामा भी नहीं बनाया था। पर्ची पर कौन से अंक थे वह भी वह नहीं बता सकता है। यह भी स्वीकार किया है कि, जप्ती पर्ची के कागज किराना दुकान पर मिलते हैं। कौन सा सट्टा था साक्षी नहीं बता सकता है कहा से खुलता है और कहा से बंद होता है यह भी वह नहीं बता सकता है। साक्षी यह भी नहीं बता सकता है कि, उस दिन सट्टे का कौन सा अंक आया था। यह भी स्वीकार किया है कि, अभियुक्त की किराना दुकान के आसपास व सामने कई दुकानें हैं और सार्वजनिक रोड पर लोगो का आना जाना रहता है।

**15.** अब यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के प्रकरण पर विचार किया जाये, तो यह प्रकट होता है कि, घटना के एक मात्र स्वतंत्र पंच साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.1) की साक्ष्य में तात्त्विक विरोधाभास व विसंगतियां हैं। उक्त साक्षी द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि, अभियुक्त पुष्पेन्द्र के कब्जे से सट्टा पर्ची जिस पर सट्टा अंक लिखे हुये थे, एक पेन तथा नगदी 150/- जप्त किये थे तथा जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था। बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा घटना स्थल पर किस बात का सट्टा लिखा जा रहा था वह भी नहीं बता पाया है। उक्त साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि, प्र. पी. 1 की लिखा पढी पर उसके द्वारा थाने पर हस्ताक्षर किये थे तथा प्र.पी. 1 की लिखा पढी किसने की थी वह यह भी नहीं बता सकता है। यह भी स्वीकार किया है

// 8 //

आप.प्रक.क्रमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

कि, जिस व्यक्ति की तलाशी ली गयी थी उसकी जेब से 150/- रुपये जप्त किये गये थे तथा पैसे के अलावा जेब से कुछ नहीं निकला था। इससे भी यह स्पष्ट है कि, अभियुक्त पुष्पेन्द्र के कब्जे से सट्टा पर्ची, पेन भी जप्त नहीं हुये हैं। इस कारण साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.1) के कथन भी जप्ती प्र.पी. 1 के संबंध में संदेहास्पद हो जाते हैं।

**16.** इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि, अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में स्वतंत्र पंच साक्षी के द्वारा कथन नहीं किये हैं तथा और इसलिये अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में विचार किये जाने के लिये दोनो पुलिस साक्षीगण प्र. आरक्षक निर्भयसिंह मुजालदे (अ.सा.2) व थाना अंजड पर होम गार्ड सैनिक कालु (अ.सा.3) की अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य ही शेष रह जाती है, इस स्थिति में अब यह विचार किया जाना है कि, क्या इन दोनो पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य एक ऐसी साक्ष्य के रूप में है, जिसे अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के समर्थन एवं सम्पुष्टि के अभाव में भी स्वीकार किया जा सकता है, व जिसके आधार मात्र पर अभियोजन के प्रकरण को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित माना जा सकता है।

**17.** यद्यपि अभियोजन का प्रकरण यह है कि, अभियुक्त पुष्पेन्द्र से जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 द्वारा सट्टा अंक लिखी कुल 2 पर्ची, एक लीड-पेन उपकरण एवं नगदी रुपये 150/- जप्त किये गये थे। निर्भयसिंह मुजालदे (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, अभियुक्त पुष्पेन्द्र की हाथ की मुट्ठी में दो सट्टा पर्ची जिस पर सट्टा अंक लिखे हुये थे तथा नगदी 150/- मिले थे। साक्षी कालु (अ.सा.3) के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, अभियुक्त पुष्पेन्द्र को सट्टे के साथ पकड़ा था तथा अभियुक्त के पास से सट्टा की चिट्ठियां पेन, व रुपये 150/- पकड़े थे जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 का बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार दोनों साक्षियों ने जप्ती को प्रमाणित किया है, किन्तु तीनों साक्षीगण द्वारा ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि, जप्त किये गये पर्ची में सट्टा किस प्रकार से लगा हुआ था या किस प्रकार से सट्टा अभिलिखित था, व उक्त तीनों साक्षीगण ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में मात्र यह बताया है कि, उसके सामने अंक लिखी हुयी 2 चिट्ठियां जप्त की थी। पर्ची पर क्या अंक लिखे हुये थे, इसके संबंध में उक्त साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिये हैं।



// 9 //

आप.प्रक.कमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

18. सट्टा एक प्रकार का गणीतीय प्रकृति का या अंकों का या अंकों के संयोग से संबंधित अपराध होता है। जिसमें सट्टा पर्ची में अंक या अंकों के संयोगों(कॉम्बिनेशन) का उल्लेख एक विशेष प्रकार से होता है, और इसलिये अभियोजन के लिये यह आवश्यक होता है कि, पुलिस अधिकारी या अन्य किसी उपयोग साक्षी की कुछ विशेषज्ञ प्रकृति की साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित करें कि, पर्ची में जो अंक या अंकों के संयोग अंकित है, उन अंक या अंकों के संयोगों में सट्टा किस प्रकार से लगा हुआ है या किस प्रकार से अभिलिखित है। इस संबंध में माननीय मध्य भारत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत हरकचंद राधाकिशन एवं एक अन्य विरुद्ध राज्य ए.आई.आर. 1954 मध्य भारत 145 में अभिव्यक्त इस आशय का अभिमत अनुकर्णीय है कि, अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिये कि, जप्तशुदा पर्ची सट्टे से किस प्रकार संबंधित है, और सट्टा किस प्रकार से जप्तशुदा पर्ची में अभिलिखित है, तथा अभियोजन को न्यायालय का यह समाधान भी करना चाहिये कि, जप्तशुदा पर्ची सट्टे का ही एक भाग है।

19. अंतिम तर्क के दौरान अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि, प्रकरण में स्वयं ही कायमीकर्ता स्वयं अनुसंधानकर्ता है तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा घटनास्थल के संबंध में कोई नक्शा मौका पंचनामा नहीं बनाया गया है और न ही घटनास्थल के आसपास के साक्षियों के कथन कराये गये हैं। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा पुलिस द्वारा रवानगी एवं वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं कराई गई है, जिससे अभियोजन के तथ्य विश्वसनीय नहीं हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि स्वयं पुलिसकर्मी साक्षी निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.2) तथा स्वतंत्र साक्षी देवेन्द (अ.सा.1) तथा कालु (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में सट्टा किस प्रकार का था तथा सट्टा लगाने की प्रक्रिया के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। अतएव न्यायदृष्टांत कन्नु अहमद खांन विरुद्ध म.प्र. राज्य (1970) एम.पी.एल.जे., शार्ट नोट-103 एवं नूर मोहम्मद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1984 विकली नोट, शार्ट नोट-391 के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा

// 10 //

आप.प्रक.कमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

सकती है ।

20. प्रकरण में अभियोजन की ओर से न तो घटना के संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रदर्शित एवं प्रमाणित कराया गया है और न ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा सट्टे के प्रकार एवं प्रक्रिया का कोई उल्लेख किया गया है और ना ही अन्य साक्षीगण द्वारा सट्टे के प्रकार एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत कन्नु अहमद खान विरुद्ध म.प्र. राज्य (1970) एम.पी.एल.जे., शार्ट नोट-103 एवं नूर मोहम्मद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1984 विकली नोट, शार्ट नोट-391 के आलोक में अभियोजन के तथ्य शंकास्पद हो जाते हैं। प्रकरण में स्वतंत्र चक्षुदर्शी पंच साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.1) तथा होम गार्ड सैनिक कालु (अ.सा.3) के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है तथा उक्त दोनों साक्षीगण के कथन विसंगतियों से परिपूर्ण है जिससे प्र. आरक्षक निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.2) के असम्पुष्ट कथन अभिलेख पर रह जाते हैं, जो विरोधाभासी व विसंगतियों से ग्रसित होकर अस्पष्ट स्वरूप के है। ऐसी स्थिति में अभियोजन के तथ्य शंका से परे प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। इस संबंध में 1982 किला. रिपोर्टर 284 म.प्र. नोट मुन्ना उर्फ राममनोहर विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं 1988 (1)क्राइम्स 172 पवन कुमार विरुद्ध देहली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 के न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं।

21. अधिनियम की धारा 4 क के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है कि, अभियोजन द्वारा वर्ली,मटका या अन्य किसी प्रकार के सट्टे से संबंधित अंक या संख्या या संकेत या चिन्ह या चित्र या इनके किसी संयोग को छापा गया या प्रमाशित किया गया था, अंगीकृत किया गया, और इस स्थिति में इस प्रकार में अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित किया जाना अत्यन्त आवश्यक था कि, जप्ती पंचनामा प्र. पी. 1 के द्वारा जो पर्ची जप्त की गयी थी, उसमें किस प्रकार का सट्टा लगा हुआ था या अभिलिखित था, चूंकि इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि, अभियुक्त से जप्त पर्ची में सट्टा लगा हुआ था या सट्टे से संबंधित अंक लिखे हुये थे, और इस स्थिति में अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4(क)सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, के

// 11 //

आप.प्रक.क्रमांक 632 / 2014

आर.सी.टी.नं. 306 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

**22.** यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि, अधिनियम की धारा 4(क)सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, की उपधारा 2 में यह प्रावधानित है कि, धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, के अपराध में दंडनीय अपराध के विचारण में यह उपधारा की जावे कि, जिसके संबंध में अपराध घटित हुआ है, उसका संबंध वली,मटका या अन्य किसी प्रकार के जुए से है। जब तक अभियुक्त के द्वारा इसके विपरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। किन्तु इस न्यायालय का मत यह है कि, उक्त उपधारा इस संबंध में तभी की जा सकती थी, जब अभियोजन द्वारा अपनी ओर से अपने प्रमाण का भार उन्मोचन करते हुये यह साबित कर दिया जाता कि, जप्तशुदा पर्ची में सट्टा ही अभिलिखित है अर्थात् सट्टे से संबंधित अंक, संख्या,सर्केंत,चिन्ह या चित्र या उनके किसी संयोग्य ही अभिलिखित है, और चूंकि इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य साबित ही नहीं किया गया है, इसलिये उक्त उपधारा दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

**23.** इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि,अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसके विपरीत स्वतंत्र साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.1) व होम गार्ड सैनिक कालु (अ.सा.3) के कथनों में तात्विक विरोधाभास व विसंगतियां पाये जाने से अभियोजन के प्रकरण का न केवल खंडन होता अपितु अभियोजन का प्रकरण संदेहजनक भी हो जाता है। इस प्रकरण की उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पुलिस साक्षी निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.2) की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के प्रकरण को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जाता है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है, और इस स्थिति में अभियुक्त को प्रकरण में संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त होने का अधिकारी है।

// 12 //

आप.प्रक.क्रमांक 632 / 2014  
आर.सी.टी.नं. 306 / 2014  
संस्थित दिनांक-24.09.2014

**24.** उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलौक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**25.** अभियुक्त जांच अथवा विचारण के दौरान निरोध में नहीं रहा है। इस संबंध में अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

**26.** प्रकरण में जप्तशुदा कुल 150/- रुपये के संबंध में अभियुक्त ने द. प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत हुये अपने परीक्षण में या अन्यथा किसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है, इसलिये यह आदेशित किया जाता है उक्त धन राशि अपील अवधि पश्चात् राजसात हो जायेगी और अपील होने की दशा में माननीय अपीली न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जायेगा एवं प्रकरण में जप्तशुदा एक लीड पेन व अंक लिखी हुयी 2 पर्चियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -  
(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही / -  
(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.